शीर्ष प्राथमिकता/ अविलम्ब

संख्या-1/2019/145/90-सं0शि0प0का0-2019-01सं0शि0/2015

प्रेषक,

कौशलेन्द्र यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-04 फरवरी, 2019**

विषय:- मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनीटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-03/2018/469/90-सं0शि0प0का0-2018-01सं0शि0/2015, दिनांक-24 अप्रैल, 2018 और उसके साथ संलग्न कर ऑनलाइन प्रेषित किये गये मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश संख्या-संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक-28 सितम्बर, 2012 एवं मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश संख्या-1117/90-सं-1-2015-70सं/1984, दिनांक-15 अक्टूबर,2015 तथा शासनादेश संख्या-2/2018/400/90-सं0शि0 प0का0/18-01(सं0शि0)/2015, दिनांक-03 अप्रैल, 2018 जो - "Shasanadesh.up.nic.in" - पर उपलब्ध है, के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-785/90-सं0शि0प0का0/18-01सं0शि0/2015, दिनांक-24 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने तथा प्रत्येक त्रैमास की कृत कार्यवाही की सूचना पूर्वोक्त शासनादेशों के के साथ संलग्न कर उक्त वेबसाइट पर प्रेषित किये गये निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

अत: मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तमुसार अपने स्तर से समस्त संबंधितों को अवगत कराने के साथ-साथ उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में निर्गत किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष-2018 की दि0-31 मार्च, 2018, दि0-30 जून, 2018 व दि0-30 सितम्बर, 2018 को समाप्त त्रैमासों की अदयतन सूचना के साथ-साथ विगत दि0-31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हुए त्रैमास की सूचना निर्धारित प्रारूप पर पृथक्-पृथक् शासन को शीर्ष प्राथमिकता पर अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि वर्ष-2018 की प्रथम 03 त्रैमासिक सूचनाओं में मा0 सदस्यगण के पत्र लम्बित पूर्व में प्रदर्शित किये गये हैं, तो उक्त स्थिति में लम्बित पत्रों को को नियमानुसार अविलम्ब निस्तारित कराते हुए उक्त त्रैमासों की सूचनाओं में पृथक्-पृथक् समाहित कराना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
कौशलेन्द्र यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in